

**अनुदान संख्या 44 – अप्रत्यक्ष कर**  
**GRANT No. 44–INDIRECT TAXES**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	1,00,00		
पूरक	Supplementary	5,00	1,05,00	91,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-13,47
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1262,10,00		
पूरक	Supplementary	63,07,00	1325,17,00	1271,48,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-53,68,01
				7,93
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-		198,83,00	27,92,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-170,90,35
				शून्य Nil
				169,03,38

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें ( 5368.01 लाख रु. ) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 6307.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 85 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5368.01 lakhs) constituted 85 percent of the supplementary grants of Rs.6307.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"			
सीमा शुल्क	Customs			
मू.	O.	48260.00		
पू.	S.	855.00	47634.19	44597.19
पु.	R.	-1480.81		-3037.00
मुख्य शीर्ष "2038"	Major Head "2038"			
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties			
मू.	O.	77900.00		
पू.	S.	5452.00	84789.73	82538.05
पु.	R.	1437.73		-2251.68

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत 79.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provison of Rs.79.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2037" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2037" - remained wholly unutilised under the following heads:-

(का) "राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन" - 15906.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 350.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 16256.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2187.04 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रमुख कंप्यूटरीकरण प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलंब होने और अदायगी प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने के कारण भी हुई।

(A) "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs - Major Ports" - the original provision of Rs.15906.50 lakhs was augmented to Rs.16256.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.350.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2187.04 lakhs (including supplementary grant) due to non-filling up of vacant posts, delay in finalisation of major computerisation proposals and also change in the payment procedure.

(खा) "निवारक तथा अन्य कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - लघु पत्तन" - 25966.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 450.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 26416.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2230.38 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और पुरस्कार नीति में परिवर्तन की वजह से पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Preventive and Other Functions - Sea Customs-Major Ports" - the original provision of Rs.25966.30 lakhs was augmented to Rs.26416.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.450.00 lakhs. However, there was a saving of 2230.38 lakhs (including supplementary grant) due to non-filling up of vacant posts and non - finalisation of reward cases owing to change in reward policy.

(III) मुख्य शीर्ष "2037" - "राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला" के अंतर्गत 514.23 लाख रु. की बचत (709.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशाला उपस्कर संबंधी अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2038" - "निदेशन और प्रशासन - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय" के अंतर्गत 146.72 लाख रु. की बचत (1546.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए में संशोधन के मामलों और नए किराए के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 137.22 लाख रु. की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 21 प्रतिशत थीं।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2037" - "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Central Revenues Control Laboratory" - saving of Rs.514.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.709.00 lakhs) was due to non-completion of procurement procedure for laboratory equipments.

(IV) Under Major Head "2038" - "Direction and Administration - Directorate General of Central Excise Intelligence" - saving of Rs.146.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1546.00 lakhs) was due to non - finalisation of cases of revision of rent and fresh hiring proposals.

(V) Under two heads savings of Rs.137.22 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 16 percent and 21 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services			
मू.	O.	17383.00		
पु.	R.	-15305.15	2077.85	1967.84
				-110.01
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	1000.00		
पु.	R.	-626.69	373.31	341.86
				-31.45

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"			
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	1500.00		
पु.	R.	-971.54	528.46	482.95
				-45.51
(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।				(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.
(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य" के अंतर्गत 15405.16 लाख रु. की बचत (17373.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंटेनर स्कैनरों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों के दूसरे चरण को अंतिम रूप न दिए जाने और जलयानों तथा पोतों की अधिप्राप्ति के संबंध में मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण भी हुई।				(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Preventive & Other Functions" - saving of Rs.15405.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17373.00 lakhs) was due to non-finalisation of IInd phase proposals for procurement of container scanners and also on account of delay in obtaining the approval of Cabinet Committee for procurement of ships and vessels.
(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय-तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत 658.14 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और				(III) Under Major Head "4059" - "Office Buildings-Other Expenditure-Acquisition of Ready built Accommodation"- saving of Rs.658.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and
(IV) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 1017.05 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।				(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees - Acquisition of Ready built Flats" - saving of Rs.1017.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs).
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें तैयार निर्मित कार्यालय/रिहायशी आवास की खरीद संबंधी विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।				Savings under the above two heads were due to non-finalisation of various proposals for purchase of ready built Office/Residential accommodation.